[illegible] दिनांक 25-5-21 [illegible] को पेश हो।

SDO Reni

25-5-21 पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्यों में व्यस्त है। दिनांक को 12/5/21 पेश हो।

रीडर

12-5-21 अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक 11-5-2 को पेश हो।

16/11/21 आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बैरेर में दिनांक 22-11-21 को पेश होने वाले [illegible] में पेश हुई। पक्षकारान को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत बैरेर में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 22-11-21 को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत बैरेर पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रैणी जिला अलवर

22/11/21 आज यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बैरेर में पेश हुई। मुताबिक तहसीलदार रैणी के प्रार्थना पत्र द्वारा 136 LR Act स्वीकार किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णीत होकर रजिस्टर से कम की जावे। बाद मर्तें दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बैरेर
उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर
(पीठीसान अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंघल)

वाद सख्या 3/78/2019

1. हरीश बाबू मीना पुत्र श्री रामधन मीना जाति मीना आयु करीब 45 साल निवासी ग्राम गुरिया तहसील रैणी जिला अलवर

............प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर महोदय, अलवर
2. तहसीलदार साहब रैणी जिला अलवर

..........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार मीना एडवोकेट

निर्णय दिनांक 22.11.2021

आज यह पत्रावली प्रशासन गॉव के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत बैरर पर वास्ते निर्णय पेश हुई। सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं0 353/541/0.16 हैक्टर बारानी उत्तम, 355/1.23 हैक्टर बारानी उत्तम 370/0.79 हैक्टर चाही प्रथम, 414/0.66 हैक्टर बारानी प्रथम किता 4 रकबा 2.84 हैक्टर खाता संख्या 134 वो आराजी खसरा नं0 371/0.86 हैक्टर चाही प्रथम जाव प्रथम खाता संख्या 133 तथा आराजी खसरा नं0 366/1.52 हैक्टर चाही प्रथम जाव प्रथम, 367/0.07 गै0मु0 चाह, 368/0.31 चाही प्रथम, 369/0.27 चाही प्रथम किता 4 रकबा 2.17 हैक्टर खाता संख्या 135 ग्राम गुरिया तहसील रैणी जिला अलवर मे स्थित है। उक्त आराजी के खाता संख्या 134 मे प्रार्थी का 3/20 हिस्सा तथा खाता संख्या 133 मे प्रार्थी का 3/86 हिस्सा तथा खाता

संख्या 135 प्रार्थी का 1/6 हिस्से की खातेदारी है। जिस पर वह काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। यह है कि खाता संख्या 134 के रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम हरिनिवास पुत्र रामधन मीना व खाता संख्या 133 के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम हरिकिशन पुत्र रामधन मीना व खाता संख्या 135 मे प्रार्थी का नाम हरिनिवास पुत्र रामधन मीना दर्ज कर दिया है जो इन्द्राज गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम हरिश बाबू मीना है। जिसकी पुष्टि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नकल फोटो प्रति मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व शिक्षा संबंध समस्त दस्तावेज पेश किये है के अंकित इन्द्राज से होती है। इस प्रकार हाल रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम जमाबंदी के खातेदारी के कॉलम मे गलत दर्ज होने से प्रार्थी के हकूक खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है व प्रार्थी के सही उपयोग व उपभोग मे भी व्यवधान व रूकावट हो रही है। इसलिये उक्त गलत नाम के इन्द्राज को हटाये जाकर प्रार्थी का सही नाम हरिश बाबू पुत्र रामधन मीना दुरूस्त किया जाना उचित है निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज पत्रावली प्रशासन गॉव के संग अभियान कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बैरेरपर प्रार्थी के निवेदन पर पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित आये। उनके द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट मे अप्रार्थी का नाम हाल रिकार्ड जमाबंदी के खाता संख्या 134 मे हरिनिवास खाता संख्या 133 मे हरिकिशन, खाता संख्या 135 मे हरिनिवास दर्ज है जो गलत है तथा सही नाम हरिश बाबू मीना होना स्वीकार किया व इसी अनुसार हाल रिकार्ड मे भी दुरूस्त करने की अभिशंषा की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज हाल जमाबंदी सम्वत् 2075 खाता संख्या 133, 134, 135 वाके ग्राम गुरिया व नकल फोटो प्रति मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व शिक्षा संबंध समस्त दस्तावेज पेश किये है का भी अवलोकन किया। तथा तहसीलदार रैणी व पटवारी हल्का बैरेर की भी रिपोर्ट का अवलोकन किया। जैसा कि रिपोर्ट पटवारी हल्का बैरेर व तहसीलदार रैणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी के सही होने की पुष्टि की है। तथा प्रस्तुत रिकार्ड से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित होता है कि प्रार्थी का सही नाम हरिश बाबू मीना पुत्र रामधन मीना है। इस प्रकार पटवारी हल्का बैरेर व तहसीलदार रैणी की जॉच रिपोर्ट व प्रार्थी की ओर से पुष्टि मे प्रस्तुत उक्तानुसार दस्तावेज से प्रार्थी का सही नाम हरिश बाबू मीना पुत्र रामधन मीना सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

ओदश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम हाल आराजी खसरा नं0 353/541/0.16 हैक्टर बारानी उत्तम, 355/1.23 हैक्टर बारानी उत्तम 370/0.79 हैक्टर चाही प्रथम, 414/0.66 हैक्टर बारानी प्रथम किता 4 रकबा 2.84 हैक्टर खाता संख्या 134 वो आराजी खसरा नं0 371/0.86 हैक्टर चाही प्रथम जाव प्रथम खाता संख्या 133 तथा आराजी खसरा नं0 366/1.52 हैक्टर चाही प्रथम जाव प्रथम, 367/0.07 गै0मु0 चाह, 368/0.31 चाही प्रथम, 369/0.27 चाही प्रथम किता 4 रकबा 2.17 हैक्टर खाता संख्या 135 ग्राम गुरिया तहसील रैणी जिला अलवर मे स्थित है, स्वीकार किया जाता है। उक्त आराजी के

खाता संख्या 134 मे प्रार्थी का 3/20 हिस्सा तथा खाता संख्या 133 मे प्रार्थी का 3/86 हिस्सा तथा खाता संख्या 135 प्रार्थी का 1/6 हिस्से की खातेदारी है। खाता संख्या 134 के रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम हरिनिवास पुत्र रामधन मीना व खाता संख्या 133 के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम हरिकिशन पुत्र रामधन मीना व खाता संख्या 135 मे प्रार्थी का नाम हरिनिवास पुत्र रामधन मीना खातेदार दर्ज है जो इन्द्राज नाम प्रार्थी गलत साबित होता है, उसे हजफ किया जाकर अर्थात हरिनिवास व रामकिशन का नाम जमाबंदी के खातेदारी कॉलम से हजफ किया जाकर प्रार्थी का सही नाम हरिश बाबू पुत्र रामधन मीना हाल रिकार्ड जमाबंदी मे दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार रैणी को दिये जाते हैं प्रार्थी हाल रिकार्ड मे जो खातेदारी मे उसका नाम हरिनिवास व हरिकिशन दर्ज है उसे हजफ किया जाकर सही नाम हरिश बाबू मीना दर्ज कराने का अधिकारी है। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को भिजवाई जावे। शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गयझं

(अनिल कुमार सिघंल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)
22.11.21

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)

क्रमांक : राजस्व/2022/70 दिनांक 7/2/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रैणी के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक निर्णय दिनांक 22.11.2021 की पालना कर पालना रिपोर्ट कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करें।

उपखण्ड अधिकारी
रैणी जिला- अलवर